हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 53

सोमवार, 26 अगस्त, 2019/4 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्गार

बैठक आरम्भ होते ही **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि पिछले कार्य-दिवस और आज के बीच में माननीय श्री अरुण जेटली जी का देहावसान हुआ है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री ने अपने लम्बे शोकोद्गार भाषण में निम्नलिखित बातें भी कहीं-

"श्री अरुण जेटली की छवि पूरे देश में एक कद्दावर नेता की थी। मैं समझता हूँ उनकी मृत्यु से हमारी पार्टी के लिए तो नुकसान है ही लेकिन यह क्षति पूरे राष्ट्र की है क्योंकि श्री जेटली जी को एक प्रखर और तेजस्वी वक्ता के नाते पूरा राष्ट्र जानता है।..उन्होंने बतौर वित्त मंत्री बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। चाहे नोटबंदी हो या देश भर में 'वन-नेशन-वन- टैक्स' के अन्तर्गत जी.एस.टी लागू करने का निर्णय हो, यह सब निर्णय उन्होंने लिए और यह ऐतिहासिक निर्णय पूरे दायित्व के साथ लिए।..हिमाचल के साथ

श्री अरुण जेटली जी का बहुत निकट संबंध था। प्रदेश से संबंधित जब भी कोई मामला किसी कोर्ट या हाई कार्ट में होता था जिसमें हमें लगता था की एक अच्छे वकील की आवश्यकता है तो श्री अरुण जेटली जी को याद किया जाता था। हमने यहां पर भी उनको पैरवी करते हुए देखा है।..वह लोकसभा या राज्य सभा में किसी भी जटिल या कठिन विषय पर अपनी बात को ठीक प्रकार से राष्ट्र के समक्ष रखते थे। वे बात ही इस प्रकार से करते थे जिसमें तर्क होता था।..हिमाचल प्रदेश को जहां औद्योगिक पैकेज दिलवाने की बात है उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही।"

मुख्य मंत्री ने श्री अरुण जेटली जी के समग्र योगदान की भूरी-भूरी प्रशंसा की और उनके देहावसान पर अपनी ओर से तथा सदन की ओर से हार्दिक संवेदनाए प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तथा परिजनों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शाक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने चाहा कि स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के सम्मान में सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए कहा-

"सदन के नेता ने श्री अरुण जेटली के निधन पर जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं भी उसमें अपने दल को शामिल करता हूं।.. श्री अरुण जेटली ने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और स्वयं को एक अच्छे वकील के तौर पर भी स्थापित किया। वह एक बेहतरीन वक्ता थे।..वे द्विभाषी थे और दोनों भाषाओं में अपनी बात रख सकते थे।..उनकी माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अच्छी फेस वैल्यू थी। ज्यूडिशियरी की नज़र में उनका बहुत बड़ा स्थान था।..वह कई मामलों की पैरवी करने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी आए।..कई लोग जो उनके नजदीकी रहे, वह हमारे भी अच्छे दोस्त हैं और वे बताते है कि जेटली जी ने अपने नौकरों के बच्चों की शिक्षा भी अपने बच्चों के बराबर ही करवाई, यानी उनको विदेशों तक पढ़ने भेजा। यह अपने आप में एक मिसाल है।"

निम्नलिखत ने भी अपने श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. श्री राकेश सिंघा
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
3. श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री
4. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री

माननीय अध्यक्ष ने अपने शोकोद्‌गार निम्न शब्दों में प्रकट किए-

" स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी केन्द्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, रक्षा मंत्री व वित्त मंत्री जैसे विभिन्न पदों पर शोभायमान रहे। वे देश के महान नेता रहे। उनके आकस्मिक निधन पर सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने जिसमें अपने-अपने उद्‌गार सम्मिलित किए हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। देश ने एक महान शख्सियत को खोया है। ऐसे समय पर जो संवेदनाएं सदन में उनके प्रति व्यक्त की गई हैं। उन्हें उनके परिवारजनों तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भारत में सदैव इस प्रकार की महान शख्सियतें पैदा होती रही हैं और भारत उनके विचारों के साथ एकमत हो कर आगे बढ़ता रहा है। "

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए खड़े होकर सदन में कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

माननीय मुख्य मंत्री की ओर से सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का सुझाव आया है और नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी उसमें सहमति जताई है। ऐसी सूरत में मैं एक व्यवस्था देना चाहूंगा कि किसी भी समय देश के किसी महान व्यक्ति का देहावसान होने पर यदि राजकीय व राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया हो और सत्र चल रहा हो, ऐसी स्थिति में सदन की सहमति के साथ

शोकोद्गार प्रस्तुत किए जा सकते हैं व सहमति के साथ कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। एक और विषय है। आज की कार्यसूची में जो प्रश्न सम्मिलित हैं उनके जो उत्तर माननीय मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा। आज की जो शेष कार्यवाही है उसे कल के लिए मुल्तवी किया जाता है। आज के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषय कल की कार्यसूची में शामिल किए जाएंगे। "

02.53 बजे अपराह्न सदन की बैठक दिवंगत आत्मा के सम्मान में मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।